

मध्य प्रदेश ने TWARIT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वारंट और समन के प्रसारण को सुव्यवस्थित करने के लिये **TWARIT** (ट्रांसमिशन ऑफ वारंट, समन, एंड रपिरेट्स बाय इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म न्यायाधीशों को केस की स्थितिकी ऑनलाइन कुशलतापूर्वक निगरानी करने की भी अनुमति देता है।

मुख्य बातें

- इस मंच का उद्देश्य पारंपरिक कागज-आधारित प्रणाली को प्रतिस्थित करना है, जिससे कानूनी कार्यवाही तेज और अधिक कुशल हो सके।
- इस पहल के कार्यान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है, देरी कम हो जाती है तथा कानून प्रवरतन एजेंसियों, अदालतों और जनता का समय बचता है।
- इस **प्रणाली से न्याय वितरण तंत्र** की समग्र दक्षता में सुधार होने की आशा है, वशिष्ठ रूप से बड़ी संख्या में कानूनी मामलों को निपिटाने में।
- यह प्रणाली संबंधित व्यक्तियों या पक्षों को न्यायालयी सम्मन और गरिफ्तारी वारंट सहति कानूनी दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की अनुमति देती है।
- राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय दंड संहिता, 2023)** के कार्यान्वयन के संबंध में नई दिलीवरी में केंद्रीय गृह और सहकारता मंत्री के कार्यालय में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।
- बैठक में पुलसि, जेल, न्यायालय, अभियोजन और फोरेंसिक सेवाओं से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थितिकी समीक्षा की गई।

नए आपराधिक कानून

- उद्देश्य:**
 - नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग की सजाओं के स्थान पर न्याय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है तथा पुलसि जाँच और न्यायालयी प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगतिको एकीकृत करना है।
- नए अपराध:**
 - नए अपराधों में आतंकवाद, भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध तथा महलियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिये बड़ी हुई सजाएं शामिल हैं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- विवाह का वादा: विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- मॉब लिंचिंग: मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का विचारण करना शामिल है।
- आत्महत्या का प्रयास: किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- सामुदायिक सेवा: इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज्जा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- अप्राकृतिक यौन अपराध: IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- व्यभिचार: शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- ठग: IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- लैंगिक तटस्थता: बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

अन्य संशोधन

- फेक न्यूज़: झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- राजद्रोह: व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- अनिवार्य न्यूनतम सजा: कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान: श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना)
- लापरवाही से मौत: लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति: आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ: BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना: BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

भारतीय साक्ष्य ↙ अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 170 धाराएँ हैं, जिसमें 24 को संशोधित किया गया है, दो को जोड़ा गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की 167 धाराओं में से छह को निरस्त किया गया है।

बरकरार प्रावधान

- ↪ कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
- ↪ यदि साक्ष्य, दी गई परिस्थितियों में उचित कार्रवाई का समर्थन करता है तो न्यायालय द्वारा साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाए।
- ↪ पुलिस की स्वीकारोक्ति आम तौर पर तब तक अस्वीकार्य होती है, जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया जाए।

प्रमुख बदलाव

- ↪ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के समान कानूनी दर्जा
- ↪ मेमोरी और संचार उपकरणों में संग्रहीत डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
- ↪ मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति
- ↪ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- ↪ संयुक्त मुकदमे का अर्थ है, एक ही अपराध के लिये एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना
- ↪ कई व्यक्तियों का मुकदमा, जहाँ एक आरोपी ने गिरफ्तारी वॉरंट का जवाब नहीं दिया है, उसे संयुक्त मुकदमा माना जाएगा

प्रमुख मुद्दे

- ↪ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड:
- ↪ तलाशी, जब्ती और जाँच प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के संबंध में चिंताएँ
- ↪ सामान्यतः दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार्य होने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया जाए
- ↪ अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेज़ों (जिन्हें प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती) के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है
- ↪ SC और विधि आयोग के सुझाव का बहिष्कार:
- ↪ दबाव और यातना के बारे में चिंताएँ क्योंकि अधिनियम में एक नियम दिया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है यदि यह सीधे किसी खोजे गए तथ्य से संबंधित है
- ↪ हिरासत में किसी को चोट लगने पर पुलिस की ज़िमेदारी की धारणा का बहिष्कार



Drishti IAS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

BNSS ने CrPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएँ हैं जिनमें 177 धाराएँ संशोधित की गईं, 9 नई धाराएँ जोड़ी गईं और 14 धाराएँ निरस्त की गई हैं।

मुख्य प्रावधान

- ④ **न्यायालयों का पदानुक्रम:** मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया।
- ④ **इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग:** जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में।
- ④ **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत ज़मानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- ④ **गिरफ्तारी का विकल्प:** किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- ④ **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- ④ **शब्दावली का प्रतिस्थापन:** अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है।
- ④ **दस्तावेज़ीकरण प्रोटोकॉल:** वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है।
- ④ **प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा:** विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है।
 - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना।
- ④ **चिकित्सा परीक्षण:** कुछ सामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है।
- ④ **नमूना संग्रह:** मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
- ④ **फोरेंसिक जांच:** ≥ 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य।
- ④ **FIR पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएँ:**
 - ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे की जाँच के लिये क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा।
 - FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी।
- ④ **पीड़ित/सूचनाकर्ता के अधिकार:**
 - पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
 - राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी।

प्रमुख मुद्दे

- ④ शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है।
- ④ यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जाँच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है।
- ④ उच्चतम न्यायलय के फैसलों और NHRC दिशानिर्देशों के विपरीत, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है।
- ④ एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है।

- ④ भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है।
- ④ संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है।
- ④ कई प्रावधान सौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं।
- ④ BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिये या अलग से संबोधित किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/madhya-pradesh-launches-quick-platform>

